

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)
दांडिक अपील क.-57 / 16
प्रस्तुति / संस्थित दिनांक-28 / 12 / 15

1. सत्यनारायण पुत्र रामबरन आयु 24 साल
 2. रामबरन पुत्र अमर सिंह आयु 48 साल
- समस्त जाति कुशवाह निवासी ग्राम कनीपुरा,
 थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र
 गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 21 / 08 / 2017 को घोषित किया गया)

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 427 / 14, उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा बनाम सत्यनारायण एवं अन्य में घोषित निर्णय दि0-01. 12.15 में अपीलार्थी/अभियुक्तगण की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भां.दं.सं. की धारा-323 के तहत छः-छः माह के कठिन कारावास एवं 500-500/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस का कठिन कारावास भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 14.04.14 को शाम 07:00 बजे के लगभग फरियादी केशव कुशवाह की सरसों की डोंडरी सत्यनारायण ने भर ली, जिस पर से सत्यनारायण से कहने पर सत्यनारायण व रामबरन ने मां बहिन की बुरी बुरी गालियां दीं। मना करने पर सत्यनारायण ने केशव के सिर में लाठी मारी जिससे चोट होकर खून निकल आया। रामबरन के दाहिने पैर की पिंडली में लाठी मारी जिससे चोट आई, मौके पर महेश आ गया और उसने बचाया।

जाते समय दोनों अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-01 थाना गोहद चौराहे पर फरियादी केशव द्वारा लिखाई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 109/14 अंतर्गत धारा-323, 294, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। केशव कुशवाह को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया। जिसमें उसके चोटें आना पाया गया।

3. दौरान अनुसंधान दिनांक 14.04.14 को फरियादी केशव का तथा दिनांक 21.04.14 को साक्षी विद्याराम एवं मुन्नी बाई के कथन लिए गए हैं। दिनांक 15.04.14 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-02 बनाया गया। दिनांक 22.04.14 को दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। दोनों के आधिपत्य से डण्डे जप्त किए गए। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा-294, 323/34 एवं 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत आदेश से दण्डित किया गया। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्क में प्रमुख यह आधार लिए गए हैं कि विवेचना के दौरान अपीलार्थीगण की ओर से रिपोर्ट की गई थी, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। फरियादी केशव के अतिरिक्त दोनों साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में नहीं हैं, साक्षियों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। डॉ0 धीरज गुप्ता का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, जबकि धारा-323 भा0दं0सं0 को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर का कथन कराया जाना अवश्य है। इस कारण भी आलोच्य निर्णय विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय दिनांक 01.12.15 एवं दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-13 में यह निष्कर्ष दिया है कि साक्षी महेश अ0सा0-02 एवं विद्याराम अ0सा0-03 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रतीत नहीं होते हैं तथा अनुश्रुत साक्षी होने के कारण दोनों साक्षियों की साक्ष्य का लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस मामले में केवल तीन साक्षियों की ही साक्ष्य हुई है, तब केवल फरियादी केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य शेष रह जाती है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि कायम की गई है। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में केवल एकल साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती है।

9. विधि का ऐसा कोई सुस्थापित सिद्धांत नहीं है कि एकल साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सके या बिना समर्थन या पुष्टि हुए दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में देखना केवल यह है कि फरियादी केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य उसकी मारपीट के संबंध में विश्वसनीय है अथवा नहीं ?

10. केशव अ0सा0-01 ने यह बताया है कि सत्यनारायण ने उसके सिर में लाठी मारी थी तथा रामबरन ने उसके दाहिने पैर में लाठी मारी थी, थाना गोहद में प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखाई थी। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं हुई है क्योंकि चिकित्सक की साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। केशव अ0सा0-01 के संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में यद्यपि यह तथ्य नहीं बताया है कि उसे चोट आई थी। परंतु प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसने यह बताया है कि लाठी मारने के बाद वह गिर पड़ा था और मुंह से खून आने लगा था और वह बेहोश हो गया था। उसने यह भी बताया है कि उसे तीन दिन तक होश नहीं आया था और उसे वृंदावन थाने ले गया था।

11. इस मामले में अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया

गया है कि विवेचना अधिकारी की साक्ष्य भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रथम सूचना लेखक गोपसिंह की साक्ष्य भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उससे दिनांक 14.04.14 को ही फरियादी के द्वारा घटना के समय शाम 07:00 बजे के 2 घंटे 20 मिनट बाद फरियादी केशव द्वारा ही रिपोर्ट लिखाया जाना प्रकट होता है। जहां कि फरियादी केशव के द्वारा सत्यनारायण एवं रामबरन के द्वारा लाठी से मारपीट करना तथा सत्यनारायण के द्वारा उसके सिर पर लाठी मारना एवं रामबरन द्वारा पैर में लाठी मारना बताया गया है तब ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी एवं प्रथम सूचना लेखक की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

12. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है जिससे कि धारा-323 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। परंतु धारा-323 भा0दं0सं0 के अनुसार उपहति को परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है यह कहा जाता है। केशव अ0सा0-01 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि सत्यनारायण ने उसके सिर पर लाठी मारी और रामबरन ने उसके पैर पर लाठी मारी अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी केशव को शारीरिक पीड़ा या अंग शैथिल्य कारित नहीं किया गया। लाठी मार देना ही अपने आप में धारा-323 भा0दं0सं0 की परिधि में आ जाता है जिसके लिए चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

13. सत्यनारायण ब0सा0-01 अर्थात् अभियुक्त सत्यनारायण ने थाना प्रभारी को प्र0डी0-01 का आवेदन प्रस्तुत करना बताया है। यद्यपि उसमें थाने की कोई सील आदि नहीं लगी है और न ही अभियोगपत्र के दस्तावेजों की सूची में उक्त आवेदन शामिल है, तब ऐसी स्थिति में उक्त प्र0डी0-01 से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। केशव अ0सा0-01 ने यद्यपि रिपोर्ट उसके भाई महेश एवं पत्नी मुन्नीबाई द्वारा लिखाया जाना बताया है परंतु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि प्र0पी0-01 की रिपोर्ट पर उसका अंगूठा नहीं लगा है। प्र0पी0-01 की रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उस पर केशव का निशानी अंगूठा होना दर्शित किया गया है ऐसी स्थिति में प्र0पी0-01 की रिपोर्ट भली भांति प्रमाणित है केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि प्र0पी0-01 के भली भांति हो रही है। साक्ष्य में थोड़ी बहुत विसंगति होने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। केशव अ0सा0-01 की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है जिसमें जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं है।

14. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-15 में यह निष्कर्ष देकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि अभियुक्तगण ने फरियादी केशव की मारपीट करने का

सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में केशव की लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

15. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को फरियादी केशव कुशवाह को सामान्य आशय में लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

16. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अभिभाषक के द्वारा अपीलार्थी को परीवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी सत्यनारायण की आयु घटना के समय 21 वर्ष तथा रामबरन की आयु 45 वर्ष की रही है। सिर पर लाठी से वार किया गया है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थीगण को परीवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परीवीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया।

17. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। घटना दिनांक 14.04.14 की है अर्थात् घटना को हुए तीन वर्ष चार माह से अधिक समय हो चुका है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय में इस प्रकरण का सामना किया है तथा विचारण में सहयोग किया है। पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं लाई गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए इतनी लंबी अवधि के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा-323 भा0दं0सं0 के इस अपराध के लिए कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

18. अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण सत्यनारायण एवं रामबरन प्रत्येक के धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत छः माह के कठिन कारावास के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अर्थदण्ड बढ़ाए जाने से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

19. फलस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा छः माह के कठिन कारावास के स्थान पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण सत्यनारायण एवं रामबरन प्रत्येक को धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत 1500-1500/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।

20. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा 500/- 500/-रुपए की राशि

अर्थात् कुल 1,000/-रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त/अपीलार्थीगण अर्थदण्ड की बढ़ी हुई राशि 1,000/-1,000/-रुपए अर्थात् कुल 2,000/-रुपए अर्थदण्ड के रूप में और जमा करें।

21. अर्थदण्ड की कुल राशि 3,000/-रुपए फरियादी आहत केशव कुशवाह निवासी ग्राम कनीपुरा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा, गोहद, जिला भिण्ड को रिवीजन की अवधि पश्चात प्रदान की जावे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण विचारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे। पुनरीक्षण होने पर माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अनुसार निराकरण किया जावे।

23. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

24. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड